


194



न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, ग्वालियर, सागर केम्प, सागर

R-4389-F-16

संजय गुप्ता उम्र 48 वर्ष तनय बाबूलाल गुप्ता, पेशा व्यवसाय, यूनीपेक कारूगेटर्स इंडिया प्राइवेट लिमि., ग्राम बामोरा, हाल निवासी - लक्ष्मीपुरा वार्ड, सागर तहसील व जिला सागर (म.प्र.)

..... पुनरीक्षणकर्ता

B.O.R.
22 DEC 2016

// बनाम //

श्री नरेश्वर सिंह सागर
कायस्थ कनिश्च, सागर मन्नाग, सागर (म. प्र.)

1. नरेन्द्र उम्र 50 वर्ष बल्द स्व श्री महेन्द्र सिंह ठाकुर
2. वीरेन्द्र सिंह उम्र 46 वर्ष बल्द स्व. श्री महेन्द्र सिंह ठाकुर
3. उत्तम सिंह ठाकुर उम्र 44 वर्ष बल्द स्व. श्री महेन्द्र सिंह ठाकुर
4. अशोक सिंह उम्र 42 वर्ष बल्द स्व. श्री महेन्द्र सिंह ठाकुर
5. श्रीमति उमाबाई 68 वर्ष बेवा श्री महेन्द्र सिंह ठाकुर
6. रामप्रसाद तनय खिलान
7. पूनाबाई पुत्री खिलान
8. रोशन तनय लक्ष्मन
9. नीलेश तनय लक्ष्मन
10. विनीता पुत्री लक्ष्मन
11. प्रभा पुत्री लक्ष्मन
12. क्रांति पुत्री लक्ष्मन
13. रानी पुत्री लक्ष्मन
14. चंदा पुत्री लक्ष्मन
15. बेनीबाई पुत्री खिलान
16. कलाबाई पुत्री खिलान
17. द्रोपतीबाई पुत्री खिलान

सभी निवासी - ग्राम बामोरा, तहसील व जिला सागर (म.प्र.)

..... प्रतिपुनरीक्षणकर्तागण

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959

पुनरीक्षणकर्ता राजस्व निरीक्षक सागर-2 के सीमांकन राजस्व प्रकरण क्रमांक I-अ वर्ष 2016-17, पक्षकार नरेन्द्र तनय महेन्द्र सिंह ठाकुर बनाम रामप्रसाद तनय खिलान बगैरह में आदेश दिनांक 15.11.2016 से परिवेदित होकर निम्नलिखित पुनरीक्षण पेश करते हैं :-

116
24-12-16

3

- 2 -

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- निगरानी-4389-एक/2016

जिला-सागर

संजय गुप्ता विरुद्ध नरेन्द्र आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
07-03-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।</p> <p>3. यह निगरानी राजस्व निरीक्षक सागर-2 , जिला-सागर के प्रकरण क्रमांक 01/अ-12/2016-17 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 15-11-2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है ।</p> <p>4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरुद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है ।</p> <p>5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 06-05-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये ।</p> <p style="text-align: right;">(आस्.क. जे.न.) सदस्य 7/5/19</p>	